अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को प्रधानमंत्री का संबोधन

दिनांक 19 जुलाई, 2005,
वाशिंगटन

अध्यक्ष जी,
उपाध्यक्ष जी,
अमेरिकी कांग्रेस के गणमान्य सदस्य,
देवियो और सज्जनो,

मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे अमेरिकी कांग्रेस के इस संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस आमंत्रण के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके लिए भारत की जनता की ओर से बधाई और शुभकामनाएं लाया हूं।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है जो दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका देश विश्व का प्राचीनतम लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति दोनों देशों की साझी प्रतिबद्धता एक ऐसा बंधन है जिसने हमें अपने मतभेदों को पीछे छोड़ देने में मदद की है। हम अमेरिकी लोगों की सृजनशीलता तथा उद्यमशीलता, आपकी उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाओं, खुली अर्थव्यवस्था और विविधता को सहर्ष अपनाने की आपकी भावना की सराहना करते हैं। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्होंने भारत के सर्वाधिक होनहार युवाओं को आकर्षित किया है और इससे आपसी समझ-बूझ का ऐसा सेतु तैयार हुआ है जिसने हमारे बीच की दूरी और मतभेदों को पीछे छोड़ दिया है। दो लोकतंत्रों के हमारे साझे मूल्यों के अलावा, तेजी से बदलते वैश्विक माहौल के प्रति हमारी सोच और धाराणाओं में भी समानता आई है जिससे हम एक-दूसरे के पहले से कहीं अधिक निकट आए हैं।

वैश्वीकरण ने दुनिया के देशों को एक-दूसरे पर इतना निर्भर बना दिया है कि कोई भी देश इस बात की अनदेखी नहीं कर सकता कि दूसरे देशों में क्या कुछ हो रहा है। शांति और समृद्धि मानव इतिहास में पहले से कहीं अधिक अविभाज्य हो गई हैं। लोकतांत्रिक देशों के रूप में, हमें मिलकर एक ऐसे विश्व का निर्माण करना होगा जिसमें लोकतंत्र फल-फूल सके। यह विशेषकर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आतंकवाद जैसे नए खतरों का सामना कर रहे हैं जिसके कारण लोकतांत्रिक देश खासतौर पर असुरक्षित हो गए हैं।

भारतीय लोकतंत्र, भारत की विविध सभ्यताई परम्पराओं का आइना है। आज हमारे समाज में सदियों से विविध जातियों और समूहों के लोग रहते आये हैं। भारत विश्व के सभी बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे देश में भाषाओं, रीति-रिवाजों और परम्पराओं की अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन् 1931 अर्थात भारत के स्वतंत्र होने से काफी पहले सार्वभौमिक मताधिकार का आह्वान किया था। हमारा राजनीतिक नेतृत्व इसके प्रति कृतसंकल्प रहा और आजादी के बाद हमने जिस संविधान को अंगीकार किया उसमें उस लोकतंत्र की प्रतिष्ठापना की गई जो स्वतंत्र चुनावों, मतभेदों के प्रति सहिष्णुता के सिद्धांतों, राजनीतिक कार्यकलापों की स्वतंत्रता, मानव अधिकारों की रक्षा और विधिसम्मत कानूनों पर आधारित है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने सन् 1949 में इस मंच को संबोधित करते हुए इस बात को स्वीकारा था कि हम इसके लिए अमेरिका के ऋणी हैं। उन्होंने कहा था कि आप हमारे संविधान में आपके गणतंत्र के संस्थापकों के स्वरों की गूंज सुन सकते हैं।
देवियो और सज्जनो,

लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा इसमें नहीं कि जो संविधान में लिखा गया है बल्कि इसमें है कि यह हकीकत में किस तरह से काम करता है। इस क्षेत्र में हमने जो हासिल किया है उस पर सभी भारतीय गर्व कर सकते हैं। हमारा यह अनुभव हमारी सीमाओं से परे भी प्रासंगिक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधार-शिला होते हैं। पिछले छः दशकों के दौरान भारत में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों ने नियमित रूप से चुनावों के माध्यम से लोगों का जनादेश प्राप्त किया है।

भारत में एक सांविधिक स्वतंत्र चुनाव आयोग, जिसने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए सम्मान हासिल किया है, की देखरेख में चुनाव कराए जाते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे संविधान की रक्षक रही है और साथ ही यह विधि-सम्मत कानून की विश्वसनीय गारंटी भी देती है। लोकतंत्र में प्रेस एक महत्वपूर्ण संस्था होती है और हमारी मीडिया ने स्वतंत्र तथा निर्भीक होने की ख्याति आर्जित की है। हमारे यहां अनेक अल्पसंख्यक लोग रहते हैं जो जीवन के सभी क्षेत्रों— राजनीतिक, वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों— में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। नागरिक समाज के संगठन फल-फूल रहे हैं और वे मानव अधिकारों की सुरक्षा के प्रति सजग हैं। वे पर्यावरण को होने वाले खतरों के प्रति भी जागरूक हैं। हमारी सेना एक पेशेवर फौज रही है जो हमेशा नागरिक नियंत्रण में काम करती हैं।

हाल ही में ग्रामीण और नगरपालिका परिषदों के लिए संवैधानिक रूप से अधिदेश-प्राप्त चुनाव सुनिश्चित करने हेतु संविधान में संशोधन किया गया था। इस प्रक्रिया से देश में तीस लाख से अधिक प्रतिनिधियों का चयन हुआ जिसमें दस लाख पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया। इससे जहां एक ओर लोकतंत्र लोगों के और अधिक निकट आया है वहीं दूसरी ओर, महिलाएं अधिकार-सम्पन्न बनीं हैं तथा पुरुष-महिला संतुलन को बढ़ावा मिला है।

लोकतांत्रिक मूल्यों और पद्धतियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अर्थ यह है कि ऐसी अनेक चिन्ताएं और धारणाएं हैं जिन्हें हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बांट सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण साझी चिन्ता आंतकवाद का खतरा है। लोकतंत्र केवल खुले और मुक्त समाजों में ही फल-फूल सकता है। किन्तु आज बढ़ते आतंकवाद से हमारे जैसे खुले समाजों के लिए पहले से कहीं अधिक खतरा पैदा हो गया है। हालांकि, हमारे समाजों के इसी खुलेपन ने हमें अधिक असुरक्षित बना दिया है, फिर भी हमें अपने इस खुलेपन, जिसे हम इतना अधिक महत्व देते हैं और जिसे हमने संजोकर रखा हुआ है, को गवांए बगैर इस खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना होगा। भारत और अमेरिका दोनों ही आतंकवाद के खतरे से जूझ रहे हैं और हमें इसके विरूद्ध साझे प्रयास करने होंगे। हम जानते हैं कि जो लोग आतंक का सहारा लेते हैं वे अक्सर इसे वास्तविक अथवा काल्पनिक शिकायतों का चोला पहना देते हैं। लेकिन, हमें साफ तौर पर इस बात पर दृढ़ रहना होगा कि किसी भी शिकायत को आतंकवाद का सहारा लेकर उचित नहीं ठहराया जा सकता।

लोकतंत्र मतभेदों को व्यक्त करने का उचित माध्यम प्रदान करते हैं। वे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार प्रदान करते हैं और यह चलते रहना भी चाहिए। लेकिन, केवल इसी कारण से वे आतंकवाद के प्रति नरमी नहीं बरत सकते। आतंकवाद हमारे खुले समाजों की स्वतंत्रता का शोषण करता है और हमारी आजादी छीन लेता है। अमेरिका और भारत को आतंकवाद, चाहे वह किसी भी रूप में हो, का हर संभव तरीके से मुकाबला करने के लिए मिलकर कार्य करना होगा। हम इस क्षेत्र में दोहरी नीति नहीं अपना सकते। आतंकवाद जहां कहीं भी हो हमें उसका मुकाबला करना होगा क्योंकि आतंकवाद हर जगह लोकतंत्र के लिए खतरा है।

हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि जो लोकतांत्रिक समाज वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा मतभेदों के प्रति सहिष्णुता की गारंटी देते हैं, वे एक ऐसा माहौल प्रदान करते हैं जो रचनात्मक प्रयासों तथा सामाजिक दृष्टि से न्यायोचित समाजों की स्थापना के अधिक अनुकूल होता है। इसलिए हमारा यह दायित्व है कि हम उन अन्य देशों की मदद करें जो लोकतंत्र के लाभों का स्वाद चखने के लिए लालायित हैं। जिस तरह से विकसित औद्योगिक देश अल्प-विकसित देशों की विकास कार्यों में मदद करते हैं, उसी तरह से सुसंस्थापित संस्थाओं वाले लोकतांत्रिक समाजों को उन समाजों की मदद करनी चाहिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहते हैं। इसी भावना से राष्ट्रपति बुश और मैं कल एक वैश्विक पहल पर सहमत हुए ताकि इस प्रकार की सहायता चाहने वाले सभी समाजों में लोकतांत्रिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की जा सके।

हमारे मस्तिष्क में जिन क्षमताओं का खाका है, वे उभरते लोकतंत्रों की निर्वाचकीय, संसदीय, न्यायिक तथा मानव अधिकारों की प्रक्रियाओं से संबंधित है। सांस्कृतिक विविधता, अल्पसंख्यक अधिकारों और स्त्री-पुरुष समानता का सम्मान इस पहल का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

लोकतंत्र हमारे राष्ट्रीय प्रयास का एक हिस्सा है और विकास दूसरा हिस्सा। लोकतंत्र के खुलेपन को तब तक लोकप्रिय समर्थन हासिल नहीं हो सकता जब तक खुला समाज समृद्ध नहीं हो जाता। यह उन विकासशील देशों में इसलिए भी विशेष महत्व रखता है जहां बड़ी संख्या में लोगों की उचित भौतिक अपेक्षाएं होती हैं और जिन्हें पूरा किया भी जाना चाहिए। इसीलिए हमें भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना होगा ताकि हमारे सभी लोगों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाया जा सके तथा गरीबी को दूर किया जा सके।

इस संबंध में भारत की आकांक्षाएं अन्य विकासशील देशों से भिन्न नहीं हैं। लेकिन, एक बात है जो हमें विशेष दर्जा देती है। एक अरब जनसंख्या वाला कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है जहां इतनी अधिक सांस्कृतिक, भाषायी और धार्मिक विविधता हो तथा जिसने अपने समाज को आधुनिक बनाने और एक सक्रिय लोकतंत्र के दायरे में अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के प्रयास किए हों। प्रति व्यक्ति आय के हमारे साधारण स्तरों के चलते इस दिशा में प्रयास करना एक बड़ी चुनौती है। इस प्रयास में सफल होने के लिए हम कृत-संकल्प हैं।

विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी नीतियों और रणनीतियों को बदली परिस्थितियों, विशेषकर विश्व अर्थव्यवस्था में अब मौजूद अवसरों के अनुरूप होना चाहिए। दो दशक पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसी मंच पर खड़े होकर पुरानी नींव पर एक नई इमारत खड़ी करने की चुनौती के बारे में कहा था। उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों को नई दिशा देने की प्रक्रिया शुरू की थी जिसे उत्तरोत्तर सरकारों ने जारी रखा है।

भारत में आर्थिक नीति में जो बदलाव लाए गए हैं, उनका दूरगामी प्रभाव दिखाई दे रहा है। इनसे भारतीय उद्यम सरकारी नियंत्रण से मुक्त हुआ है तथा अर्थव्यवस्था को विश्व व्यापार, पूंजी और प्रौद्योगिकी के प्रवाह के लिए और ज्यादा खोल दिया गया है। हमारी उद्यमशील प्रतिभा को उन्मुक्त कर दिया गया है और उसे बेहतर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे ताकि भारतीय प्रतिभा और उद्यमशीलता अपनी पूर्ण क्षमता को उपयोग में ला सकें और भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में एक बराबर के भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए समर्थ बना सकें।

हमारी अक्सर इस बात की आलोचना की जाती है कि हम नीतियों में काफी धीमी गति से बदलाव ला रहे हैं। किंतु लोकतंत्र का अर्थ है कि बदलाव के पक्ष में एक आम सहमति बनाई जाए। चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में आप सभी इस समस्या से भलीभांति परिचित हैं। हमें संदेहों को दूर करना है और उस डर को समाप्त करना है जो अक्सर उस समय पैदा होता है जब लोगों पर बदलाव का प्रभाव पड़ता है। कई ऐसे डर हैं जिन्हें बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है और हमें इन्हें दूर करना ही होगा। क्योंकि यह निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। भारत के आर्थिक सुधारों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए अर्थात् उनकी गति धीमी दिखाई दे सकती है, किन्तु मैं आपको आश्वासन देता हूं कि वे स्थाई हैं और उनसे पीछे नहीं हटा जा सकता।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के हमारे प्रयास रंग लाने लगे हैं जो उसे विश्व के साथ और अधिक निकटता से जोड़ती है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर अनवरत गति से आगे बढ़ी है और पिछले दो दशकों में यह औसतन प्रतिवर्ष 6.0 फीसदी के करीब रही है। गरीबी कम हुई है लेकिन उस गति से नहीं जैसा कि हम चाहते हैं। हम इस दिशा में सुधार लाने के लिए कृत-संकल्प हैं। हमें आशा है कि हम अगले दो वर्षों में अपनी विकास दर को 8 फीसदी या उसके आस-पास तक ले जाएंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यह वृद्धि दर "कुल मिलाकर" हो ताकि इसके लाभ व्यापक रूप से प्राप्त हों। इसके लिए, हमें कई मोर्चों पर कार्य करना होगा। हमें स्वास्थ्य और शिक्षा जो मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है, के क्षेत्र में काफी कुछ करना होगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को निरंतर खुला रखना होगा। हमें कृषि विकास को एक नई दिशा और प्रोत्साहन देना होगा। हमें आर्थिक ढांचे, जो हमारी विकास संभावनाओं के मार्ग में एक बड़ी बाधा है, में निवेश बढ़ाना होगा।

भारत की प्रगति और खुशहाली अमेरिका के हित में है। भारत में विशेषकर नये प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश से अमेरिकी कंपनियों को लागत में कमी लाने और उन्हें विश्व में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। इसी तरह, इन निवेशों से भारत को जो लाभ अर्जित होगा उससे संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदारी में बढ़ोत्तरी होगी। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति मुख्य रूप से अमेरिका के कम्प्यूटर से संबंधित प्रौद्योगिकी और हार्डवेयर पर आधारित है। इस तरह के दोतरफा लाभों के अन्य कई उदाहरण हैं जिससे दोनों देशों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

अमेरिकी फर्में पहले ही भारत में विदेशी निवेश अभियान में अग्रणी हैं। मैं समझता हूं कि फार्चून 500 में से 400 भारत में हैं। वे भारतीय बाजार के लिए उत्पादन करती हैं और आशा है कि वे अपनी विश्व आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए भारत से एक आपूर्ति स्रोत भी साबित होंगी। हम इस निवेश का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में इसमें और विस्तार होगा। भारत को विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अत्यधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी कंपनियां हमारे द्वारा सृजित किए जा रहे अवसरों का लाभ उठाएंगी।

21वीं सदी ज्ञान-आधारित उत्पादन से निर्दिष्ट होगी और भारत इस क्षेत्र में अपना एक उचित स्थान रखता है। हमारे यहां बड़ी संख्या में युवा लोग हैं जो उस सामाजिक परंपरा से जुड़े हैं जो उच्च शिक्षा को महत्व देती है। हमारे शिक्षित युवा लोग अंग्रेजी बोलने वाले भी हैं। ये सभी बातें हमें अत्याधुनिक सेवाओं, चाहे वह साफ्टवेयर, इंजीनियरी डिजाइन हो अथवा दवा-निर्माण और अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान हो, के उत्पादन का एक संभावित और आकर्षक केन्द्र बनाती हैं। विश्व व्यापार संगठन के तहत अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पूर्णरूप से पालन करने के लिए हमारे बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित कानूनों में हाल ही में संशोधन किया गया है। हम इन क्षेत्रों में अमेरिका से व्यापार आकर्षित करने की आशा करते हैं।

उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों में बड़ी तादात में भारतीय-अमेरिकियों की उपस्थित यह दर्शाती है कि अमेरिका और भारत स्वाभाविक भागीदार हैं। यह आप लोगों में भारत की मानव संसाधन क्षमता के बारे में विश्वास जगाती है। यही नहीं, इससे आपको अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अधिक तरजीह मिलती है और इसलिए आप भारत में अपना कारोबार आसानी के साथ चला सकते हैं। भारतीय-अमेरिकी समुदाय ने इस देश में जो कुछ किया है, उस पर हमें गर्व है। मैं और मेरे कई देशवासी इस खबर से अभिभूत हो गए कि इस सदन के एक प्रस्ताव के जरिए भारतीय-अमेरिकियों के उस योगदान की सराहना की गई जो उन्होंने अनुसंधान और अभिनव कार्यों तथा भारत और अमेरिका के बीच व्यापार एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में दिया है।

देवियो और सज्जनो,

हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पूरा-पूरा लाभ उठाने हेतु हमें अपने निजी क्षेत्रों को करीब लाने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए, राष्ट्रपति श्री बुश और मैंने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का एक भारत-अमेरिका मंच गठित किया है। मुझे आशा है कि इस मंच से दोनों देशों के दृष्टिकोण को आपस में बेहतर ढंग से समझने और भावी सहयोग की संभावनाओं का बेहतर मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। दोनों सरकारें अपने अनुभव और परामर्श से यह तय करेंगी कि हमारे संबंधों की पूरी क्षमता का किस प्रकार से लाभ उठाया जाए।

हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जीवन-यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। इस क्षेत्र में अमेरिका पहले से ही एक भागीदार रहा है जिसने 1960 के दशक में भारत में कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करने में मदद की थी। यह एक अमेरिकी नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री नोरमन बोरलॉग ही थे जिन्होंने रौकफेलर फाउण्डेशन के अनुदान की मदद से मैक्सिको में गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित किया जिन्हें बाद में आपकी मदद से स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों में भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया। यह भारत में हरित क्रांति की शुरूआत थी

जिसने अनगिनत लाखों लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति श्री बुश और मैंने यह तय किया है कि कृषि क्षेत्र में भारत-अमेरिकी सहयोग की दूसरी पीढ़ी की शुरूआत की जाए। इस नई पहल में कृषि के सतत विकास के लिए मौलिक और रणनीतिक अनुसंधान पर बल दिया जाएगा ताकि पानी की कमी से उत्पन्न स्थितियों में उत्पादन बढ़ाने की चुनौती का सामना किया जा सके। इसके लिए सूचना और जानकारी को सीधे किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है तथा ऐसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की जरूर है जिनसे फसल कटाई के बाद होने वाली बर्बादी को कम किया जा सके तथा खाद्य भंडारण में सुधार किया जा सके। इससे जहां एक ओर, भारतीय किसानों को पादप-स्वच्छता की परिस्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर, वे विश्व कृषि व्यापार में और अधिक भागीदारी करने में भी समर्थ होंगे।

ऊर्जा सुरक्षा एक अन्य क्षेत्र है जिसमें हमारे दोनों देशों के मजबूत साझे हित जुड़े हुए हैं। विश्व में हाइड्रोकार्बन के भंडार सीमित हैं और हमें नए ऊर्जा स्रोतों को काम में लाना होगा। कोयले और जल-विद्युत पर भारत की निर्भरता बढ़ेगी। हमें तेल और गैस की नई खोज में और उपलब्ध क्षेत्रों से तेल तथा गैस के दोहन को बढ़ाने के लिए निवेश करना होगा। हमें परमाणु ऊर्जा की पूरी क्षमता का भी लाभ उठाना होगा। अमेरिका इन सभी क्षेत्रों में मदद कर सकता है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने अमेरिका के साथ ऊर्जा वार्ता शुरू की है ताकि आने वाले वर्षों में इन सभी क्षेत्रों में सहयोग की गुंजाइश का पता लगाया जा सके।

असैन्य परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारे सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप, इस क्षेत्र में हमारे संबंधों में बदलाव आ रहा है। राष्ट्रपति श्री बुश और मैं इस समझौते पर पहुंचे है कि इस प्रकार के सहयोग के तरीकों का पता लगाया जाए।

इस संदर्भ में, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि परमाणु अप्रसार के मामले में भारत का त्रुटिहीन रिकॉर्ड रहा है। हमने इस क्षेत्र में हरेक कानून और सिद्धांत का ईमानदारी से पालन किया है। हमने ऐसा तब भी किया है जब हमने अपने ही पड़ोस, जिसने हमारे सुरक्षा हितों को सीधे प्रभावित किया है, में अनियंत्रित परमाणु प्रसार को देखा है। यह इसलिए, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में उन तमाम भारी जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकिफ है जो असैन्य और सामरिक दोनों प्रकार की उन्नत प्रौद्योगिकियों को रखने से मिलती हैं। हम न तो कभी संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के प्रसार का स्रोत रहे हैं और न कभी रहेंगे।

हमें पता है कि हमारी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने की योजनाएं पर्यावरण को प्रभावित करेंगी। ऐसा विशेषकर इसलिए है क्योंकि यदि हम भारत के ऊर्जा परिदृश्य को देखें तो कोयले पर ही इसकी अत्यधिक निर्भरता बनी रहेगी। इसलिए कोयले से संबंधित ऐसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की जरूरत है जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़े और जो अधिक गरीब देशों के लिए वहनीय हों। हमें ऐसे उपाय करने की जरूरत है जिनसे इन प्रौद्योगिकियों का विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों को काम में लाया जा सके। हमें ऐसे उपाय भी ढूंढ़ने होंगे ताकि ये प्रौद्यागिकियां विकासशील देशों को ज्यादा सुलभ हो सकें। इसके साथ ही, हमें सहयोगपूर्ण अनुसंधान शुरू करने के तरीके भी ढूंढ़ने होंगे। हम आपके साथ मिलकर इस क्षेत्र में नए सहयोगों की संभावनाएं तलाशने के लिए तैयार हैं। इससे हमें अपने हाइड्रोकार्बन संसाधनों का अधिक कुशलता के साथ इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।

ऐसे और भी क्षेत्र हैं जहां हम सहयोग कर सकते हैं। पिछले दिसम्बर में आए सुनामी से प्रभावित लाखों लोगों को राहत और मदद पहुंचाने में हमारा संयुक्त प्रयास इस बात का उदाहरण है कि सहयोग से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। इस अनुभव के आधार पर राष्ट्रपति श्री बुश और मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त पहल की है कि हमारी क्षमताएं भविष्य में इस प्रकार की स्थितियों में जरूरतमंद लोगों के लिए तैयार मिलेंगी। एचआईवी/एड्स की विश्वव्यापी चुनौती भारत- अमेरिकी सहायोग का एक और क्षेत्र है। राष्ट्रपति श्री बुश और मैं इस बात पर सहमत हुए कि सुरक्षित और प्रभावी एन्टी-रिट्रोवायरल दवाओं की अन्तर्राष्ट्रीय उपलब्धता को बढ़ाने पर सहमत हुए।

देवियो और सज्जनो,

वैश्वीकरण ने विश्व भर में आपसी संपर्कों का एक जाल बुन लिया है। इससे यह बात और भी आवश्यक हो जाती है कि हम वैश्विक शासन की एक प्रणाली विकसित करें जिसमें विश्वसनीयता हो और जो न्यायोचित हो। इस प्रणाली के लिए ऐसी भागीदारी विकसित की जानी चाहिए जिससे एक विश्व सहमति प्राप्त की जा सके। इसमें समकालिक वास्तविकता भी परिलक्षित होनी चाहिए। विश्व व्यापार वार्ताओं का दोहा राउंड और संयुक्त राष्ट्र में सुधार दो ऐसी प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जहां हमें वैश्विक शासन की प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।

भारत बहु-पक्षीय व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम अमेरिका तथा अन्य सहयोगियों के साथ दोहा राउंड के सफल परिणाम के लिए मिलकर काम करेंगे। मुझे यकीन है कि हम एक ऐसा उचित और संतुलित परिणाम हासिल कर सकते हैं जो परस्पर लाभप्रद हो। हम ऐसा करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

जहां तक संयुक्त राष्ट्र में सुधार का संबंध है, हमारा मानना है कि अब समय आ गया है जब हमें संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा ढांचे की स्थापना के बाद हुए अनेकों बदलावों को पहचानना है। संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार होना चाहिए ताकि यह और अधिक प्रभावी बन सके तथा इसमें और अधिक देशों को प्रतिनिधित्व मिल सके। इस सुधार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किया जाना होगा। इस संदर्भ में, आप इस बात से सहमत होंगे कि ऐसे समय में, जब संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन किया जा रहा हो, सुरक्षा परिषद के मामले में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात को बिल्कुल अनसुना नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, गणमान्य सिनेटर्स और हाउस आफ रिप्रेजन्टेटिव्स के सदस्यगण, देवियो और सज्जनो,

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि भारत के लोग एक ऐसे सुनहरे भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो विश्वास से भरा हुआ है, हमारी आर्थिक क्षमताओं की बढ़ती पहचान और हमारे समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे समाज की तैयारी पर आधारित है। हमें अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लोने में कुछ सफलता मिली है और इस दिशा में हम अपने प्रयासों को दुगना करेंगे। हम एक ऐसी विश्व व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी मिलकर काम करेंगे जिसमें लोकतंत्र फले-फूले और जिसमें विकासशील देश अधिक से अधिक खुशहाल बनने के लिए प्रयास कर सकें। दो लोकतांत्रिक देशों के रूप में हम अनेकों दृष्टिकोणों से स्वाभाविक सहयोगी हैं। सहयोग दो प्रकार का हो सकता है। एक सिद्धांत पर आधारित होता है तो दूसरा व्यावहारिकता पर आधारित। मैं समझता हूं कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से हम एक ऐसे सहयोग की शुरूआत कर सकते हैं जो सिद्धांतवादी होने के साथ-साथ व्यावहारिक भी हो। हमें इस अवसर का अवश्य लाभ उठाना चाहिए।

इस दौरे पर मेरा उद्देश्य हमारे दोनों देशों के बीच बदले संबंधों का आधार तैयार करना था। मैं मानता हूं कि हमने एक बहुत अच्छी शुरूआत की है। कांग्रेस के समर्थन और समझ-बूझ से हमें आने वाले समय में हमारे सहयोग के पूरे-पूरे लाभ मिलने लगेंगे। भारत आज एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा है जो उसके अनेक सपनों की प्रेरणाओं से भरी हुई है। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि अमेरिका इस यात्रा में हमारे साथ है। अभी ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम मिलकर पूरा कर सकते हैं।

धन्यवाद।